


तारीख हुक्म	क्र.नं - 11/2024 इनाम पत्र स्थानांतरण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज इनपान - श्रीनारायण व अन्य बनाम श्री प्रतीरखा मीना SDJ व सगा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24-11-24	आज पीठासीन अधिकारी महोदय राजेंद्र कार्य में वसूला/अवकाश पर होने से सब आदेश की पालना में पत्रावली दिनांक 7-11-24 को पेश हो।	
2-11-24	आज पीठासीन अधिकारी महोदय राजेंद्र कार्य में वसूला/अवकाश पर होने से सब आदेश की पालना में पत्रावली दिनांक 14-11-24 को पेश हो।	
14-11-24	आज पीठासीन अधिकारी महोदय राजेंद्र कार्य में वसूला/अवकाश पर होने से सब आदेश की पालना में पत्रावली दिनांक 21-11-24 को पेश हो।	
21-11-24	आज पीठासीन अधिकारी महोदय राजेंद्र कार्य में वसूला/अवकाश पर होने से सब आदेश की पालना में पत्रावली दिनांक 28-11-24 को पेश हो।	
28-11-24	<p>आधिकारिता प्राचीन उपस्थित। आधिकारिता अज्ञात है 2 अज्ञात उपस्थित। उपस्थित आधिकारिता अज्ञात की बहस सुनी गई। बहस के दौरान आधिकारिता अज्ञात है 2 अज्ञात पक्ष निवेदन किया गया कि अज्ञातस्य न्यायालय उपस्थित आधिकारिता व सगा में विचारधीन प्रकरण उनवारी जनेम बनाम गंगासम वर्मा रा मुं 235/2008 दावा का शीघ्र निस्तारण हेतु अन्य समस्त न्यायालय में स्थानांतरण किया जा रहा है।</p> <p>आधिकारिता अज्ञात है 2 अज्ञात पक्ष रूपन अज्ञात बनाम किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। आधिकारिता अज्ञात है 2 अज्ञात पक्ष द्वारा अनापत्ति जाहिर करने पर न्यायालय उपस्थित आधिकारिता व सगा में विचारधीन प्रकरण</p>	



सत्यमेव जयते



तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

से 235/2008 दावा उत्तवानी गणेश बनाम गेजाराम  
वंगेर के अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरण  
करने बाबत श्री श्रीनारायण, मुरारीलाल पुत्रान  
गेजाराम, कमलेश पुत्र नारायण समस्त जाति माली  
निवासी राजवास तहसील बसवा डाय इस न्यायालय  
में प्रस्तुत शर्चना पत्र स्थानांतरण स्वीकार  
किया जाता है। उपखण्ड अधिमारी बसवा के  
निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण से संबंधित  
पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिमारी बांड़ी मुई  
में भिजवाये। उपखण्ड अधिमारी बांड़ी मुई  
प्रकरण लम्बे समय से विचाराधीन होने की स्थिति  
को मध्यनजर रखते हुए उभयपक्ष को सुनवाई का  
अवसर दिया जाकर प्रकरण का शीघ्र निस्तारण  
किया जाना सुनिश्चित करें। उभयपक्ष अथवा  
अधिकारिता उभयपक्ष दिनांक 16-12-2024 को  
न्यायालय उपखण्ड अधिमारी बांड़ी मुई में उपस्थित  
होवे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिमारी बसवा  
एवं उपखण्ड अधिमारी बांड़ी मुई को भिजवायी  
जावे। पत्रावली के संलग्न मुद्रा की जाकर नम्बर से  
रकम हो एवं बाद पूर्ण प्रविष्ट अति लेखाकार की  
जावे। निर्णय आज दिनांक 28/11/2024 को मेरे  
डाखे मुले न्यायालय में सुनाया गया।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(सुमित्रा पारीक)  
अति. जिला कलक्टर  
दौसा (राज.)